

१० कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / शालादर्पण / 60304 / वो-2 / 2020 / **३६**

दिनांक : ०१.१२.२०२०

- : कार्यालय आदेश : :-

शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कार्मिकों का व्यक्तिगत, शैक्षिक-प्रशौक्षिक योग्यता एवं सेवा संबंधी विवरण शाला दर्पण पोर्टल पर विस्तृत विवरण (प्रपत्र-10) में इन्द्राज है। आवश्यकतानुरूप कार्मिकों के संबंध में उपलब्ध सूचनाओं के अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु उक्त विस्तृत विवरण प्रपत्र (प्रपत्र-10) का विस्तार करते हुए कुछ नए प्रारूप जोड़े गए हैं। कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र (प्रपत्र-10) में सम्पूर्ण पूर्तियाँ विद्यालय/कार्यालय स्तर से की जानी है। नवीन जोड़े गए अतिरिक्त प्रारूपों के संबंध में संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :—

1. सीधी भर्ती में कार्मिक को प्राप्त नोशनल लाभ से संबंधित समस्त जानकारी।
2. सम्पूर्ण पदोन्नति विवरण।
3. परिवार के सदस्यों का विवरण।
4. स्थायी एवं वर्तमान पते का विवरण।
5. वेतन, बैंक खाता एवं प्राप्त एसीपी का विवरण।
6. सेवाकाल में प्राप्त विभागीय प्रशिक्षण व कार्य शालाओं का विवरण।

कार्मिकों के विस्तृत विवरण प्रपत्र (प्रपत्र-10) में पूर्व से उपलब्ध विवरण के साथ जोड़े गए उक्त नवीन प्रारूपों में वांछित विवरण विद्यालय/कार्यालय में उपलब्ध सेवा-रिकॉर्ड के आधार पर अविलम्ब भरकर सेव किया जाना है।

सीधी भर्ती में न्यायालय आदेश द्वारा कार्मिकों को प्राप्त नोशनल लाभ प्राप्त कार्मिकों के सेवा विवरण (प्रपत्र-10 के प्रारूप-4) में नोशनल लाभ के संबंध में “हाँ” का चयन करते हुए नोशनल लाभ देय तिथि एवं आदेश क्रमांक मय दिनांक का अंकन कर अनिवार्य रूप से भरकर सेव करें। इस संबंध में संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयध्यक्ष के साथ-साथ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारम्भिक द्वारा प्रभावी प्रबोधन करते हुए समस्त नोशनल लाभ प्राप्त कार्मिकों की परिशुद्ध सूचना का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।

* URGENT *


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान-जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
4. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर।
5. निदेशक, राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
6. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, शिक्षा संकुल, जयपुर।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
10. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोटर्स स्कूल, बीकानेर।
11. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर।
12. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारम्भिक।

14. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
15. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
16. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सचिव केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
17. प्रबन्धक, राजकीय गुरुनानक संस्थान भवन, जयपुर।
18. समस्त संस्था प्रधान/पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ), राजकीय विद्यालय।
19. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
20. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
21. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
22. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
23. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

96
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर